

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,
उपकारा, हिलसा।

पटना, दिनांक-21/03/2017।

विषय:-मुख्य शीर्ष-2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष-00, मांग सं0 22, लघुशीर्ष-101 जेल, उपशीर्ष-0003 उप जेल के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु विभिन्न स्थापना मदों में निकासी हेतु राशि ₹1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र)) के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

विपत्र कोड-N-2056001010003

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब17/बी0एस0जी0-18/2016-423/वि. दिनांक-31.03.2016 पत्रांक-एम0-4-09/2014-4572/वि0 दिनांक-03.06.2016 एवं ज्ञाप संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु अधीक्षक, उपकारा हिलसा का पत्रांक-414 दिनांक-15.03.2017 से प्राप्त अधियाचना के आलोक में निम्नरूपेण राशि का अतिरिक्त आवंटन विभिन्न स्थापना मदों में स्वीकृत किया जाता है:-

क्र	उपकारा का नाम	कूट सं0 एवं मद	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शब्दों में
1	हिलसा	01 01 - वेतन	3610000	60000	3670000	छत्तीस लाख सत्तर हजार रुपये मात्र।
		01 03-जीवनयापन भत्ता	4750000	40000	4790000	सैंतालीस लाख नब्बे हजार रुपये मात्र।
		कुल योग	8360000	100000	8460000	घौरासी लाख साठ हजार रुपये मात्र।

(एक लाख रुपये मात्र)

2. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष-2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-101 जेल, उपशीर्ष-0003 उप जेल के तहत होगा। काराधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि विपत्रों पर मांग संख्या-22 विपत्र कोड-N2056001010003 एवं अंकित कूट संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय, अन्यथा संबंधित कोषागार द्वारा विपत्रों को पारित नहीं किया जायेगा। इसका अनुपालन सख्ती से किया जाय।

3. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 की कंडिका 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 का एवं वित्त विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाय। इन कंडिकाओं के अनुपालन में आप स्वयं संतुष्ट हो लें कि स्थापना मदों में केवल स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों के लिए नियमानुसार निकासी की जा रही है। किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

4. आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में न किया जाय।

संजय कुमार
सहायक

मो. जयानुदेन अंसारी
सहायक

राम गरी कि
उप निदेशक (कारा)

5. आवंटित की जा रही राशि में से यदि वेतन एवं भत्ते मदों की किसी इकाई में अधिक या कम राशि है तो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के पत्र सं०-405/वि० दिनांक-25.05.06 के आलोक में अलग-अलग उप इकाईयों के लिये राशि कर्णांकित करने के पश्चात् ही विपत्र प्रेषित करेंगे।

6. प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक मासिक व्यय की ईकाईवार विवरणी टी०भी० नं० के साथ अनिवार्य रूप से कारा निरीक्षणालय में उपलब्ध करा दिया जाय। व्यय विवरणी में पूर्व माह का व्यय, वर्तमान माह का व्यय एवं कुल अद्यतन व्यय का उल्लेख अवश्य किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने अथवा विलम्ब होने पर इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

विश्वासभाजन

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

मो. जमाबुद्दीन अख्ताई राध अम्री सिंह
सं० पदा०

ज्ञापांक-कारा/बजट(उप)-03-01/16.....1284

प्रतिलिपि:-महालेखाकर, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-21/03/2017

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

मो. जमाबुद्दीन अख्ताई राध अम्री सिंह
सं० पदा०

ज्ञापांक-कारा/बजट(उप)-03-01/16.....1284

प्रतिलिपि:-संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-21/3/2017

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

मो. जमाबुद्दीन अख्ताई राध अम्री सिंह
सं० पदा०

ज्ञापांक-कारा/बजट(उप)-03-01/16.....1284

प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी/आईटी० मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-21/3/2017

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

मो. जमाबुद्दीन अख्ताई राध अम्री सिंह
सं० पदा०